भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2534

जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च , 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा

†2534.श्री राजीव राय:

श्री अनूप संजय धोत्रे:

डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में किए गए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश में हो रहे यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) संबंधी धोखाधड़ी से अवगत है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित की गई धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा यूपीआई भुगतान से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूपीआई नकद जमा से जुड़ी चुनौतियां और जोखिम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को उन वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खातों से डिजिटल लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी से धनराशि निकालने की कोई शिकायत मिली है, जिन्होंने अभी तक डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को नहीं अपनाया है;

(ड.) यदि हां, तो दिल्ली में प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर जिलावार क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार सीमापार लेनदेन के लिए यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ एकीकृत करने की योजना बना रही है और इससे व्यक्तियों और वित्तीय क्षेत्र को किस प्रकार का लाभ होगा?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में किए गए एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): पिछले कुछ वर्षों में देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि के साथ यूपीआई धोखाधड़ी सहित डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ियों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान देश में सूचित की गई धोखाधड़ियों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

यूपीआई लेनदेन धोखाधड़ियों सहित भुगतान संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राहक के मोबाइल नंबर और डिवाइस के बीच डिवाइस बाइंडिंग, पिन के माध्यम से द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण, दैनिक लेनदेन सीमा, प्रायोगिक मामलों (यूज केसों) पर नियंत्रण शामिल हैं। एनपीसीआई सभी बैंकों को धोखाधड़ी निगरानी समाधान उपलब्ध कराता है ताकि वे एआई/एमएल आधारित मॉडल का उपयोग करके लेनदेन के संबंध में चेतावनी जारी कर सकें और उसे अस्वीकार कर सकें। आरबीआई और बैंक लघु एसएमएस, रेडियो अभियान, साइबर-अपराध के निवारण के लिए प्रचार-प्रसार आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान भी आयोजित कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय धोखाधड़ियों की सूचना देने की सुविधा प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर (1930) आरंभ किया है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने डिजिटल आसूचना प्लेटफॉर्म (डीआईपी) और 'चक्षु' सुविधा आरंभ की है, जो नागरिकों को कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचारों के बारे में सूचना देने में सक्षम बनाती है।

एनपीसीआई ने सूचित किया है कि यूपीआई अंतरपरिचालनीय नकद जमा (आईसीडी) सेवा सितंबर 2024 में आरंभ की गई थी और भारत में 2,400 कैश रिसाइकिलर के द्वारा इसे समर्थन प्राप्त हुआ है। यह सेवा लाभार्थी के खाते का सत्यापन करके और जमाकर्ता को नकदी स्लॉट सक्रिय करने से पहले अपने यूपीआई पिन के साथ प्रमाणीकरण करना अनिवार्य बनाकर दोहरी सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करती है।

(घ) और (ङ): आरबीआई ने सूचित किया है कि इस मामले में उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च): सरकार और आरबीआई सीमा-पार (क्रॉस बॉर्डर) भुगतान की सविधा प्रदान करने के लिए यूपीआई को अन्य देशों की त्वरित भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) के साथ सम्बद्ध करने के लिए प्रयासरत हैं। इन प्रयासों में एफपीएस को अंतर-परिचालनीय आधार पर इंटरलिंक करने के साथ-साथ अन्य देशों में भुगतान अवसंरचना का प्रावधान करना शामिल है। वर्तमान में यूपीआई 7 देशों (यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका) में लाइव है।
यूपीआई को अन्य देशों के त्वरित भुगतान प्रणालियों से इंटरलिंक करने से उपयोगकर्ता रियल-टाइम, पारदर्शी और किफायती डिजिटल भुगतान लेनदेन करने में सक्षम हो सकेंगे। इससे निर्बाध विप्रेषण लेनदेन सुनिश्चित होगा और विदेश भ्रमण करने वाले भारतीय पर्यटकों को निर्बाध भुगतान करने में सहायता मिलेगी।

*****

अनुबंध I

पिछले तीन वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीआई लेनदेन

वित्तीय वर्ष	मात्रा (करोड़ में)	मूल्य (लाख करोड़ में)
वित्तीय वर्ष 2021-22	4,595.61	84.16
वित्तीय वर्ष 2022-23	8,371.44	139.15
वित्तीय वर्ष 2023-24	13,112.95	199.95
वित्तीय वर्ष 2024-25 (फरवरी'25 तक)	16,756.45	235.80

अनुबंध II

पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान यूपीआई घरेलू भुगतान संबंधी धोखाधड़ियां

वित्तीय वर्ष	घटनाओं की संख्या (लाख में)	अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए में)
वित्तीय वर्ष 2021-22	4.07	242
वित्तीय वर्ष 2022-23	7.25	573
वित्तीय वर्ष 2023-24	13.42	1,087

*****